प्रस्ताव

16 सार्वजनिक रोज़गार, शिक्षा, और अनुबंधीय निर्णयों, विधायी संवैधानिक संशोधन में विविधता की एक कारक के रूप में अनुमति देता है। विधायी संवैधानिक संशोधन।

आधिकारिक शीर्षक और सारांश महान्यायवादी द्वारा तैयार किया गया

इस विधेयक के टेक्स्ट को राज्य सचिव कीवेबसाइट *voterguide.sos.ca.gov* पर देखा जा सकता है।

- कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद I, धारा 31 जिसे 1996 में प्रस्ताव 209 द्वारा जोड़ा गया था, को निरस्त करके विविधता पर ध्यान देने के लिए नस्ल, लिंग, रंग, जातीयता, या राष्ट्रीय मूल पर विचार करने के लिए सरकार को निर्णय-प्रक्रिया नीतियों की अनुमति देता है।
- प्रस्ताव 209 सामान्य तौर पर राज्य और स्थानीय सरकारों को नस्ल, लिंग, रंग, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के आधार पर सरकारी रोजगार, शिक्षा या अनुबंध के प्रचालन में, व्यक्तियों या समूहों के विरुद्ध भेदभाव करने या वरीयता का व्यवहार करने से निषेध करता है।
- समान संरक्षण और गैरकानूनी भेदभाव के निषेध की गारंटी देने वाले अन्य राज्य और संघीय कानूनों में बदलाव नहीं करता है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर पड़ने वाले शुद्ध राजकोषीय प्रभाव का विधायी विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- राज्य और स्थानीय संस्थाओं पर कोई प्रत्यक्ष राजकोषीय प्रभाव नहीं है क्योंकि विधेयक के लिए वर्तमान नीतियों या कार्यक्रमों में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
- संभावित राजकोषीय प्रभाव सार्वजनिक शिक्षा, सरकारी रोजगार और सरकारी अनुबंधों में नस्ल, लिंग, रंग, जातीयता या राष्ट्रीय मूल पर विचार करने वाली नीतियों या कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य और स्थानीय संस्थाओं द्वारा अपनाए गए भावी विकल्पों पर निर्भर करेंगे। ये वित्तीय प्रभाव काफी हद तक अनिश्चित हैं।

ACA 5 (प्रस्ताव 16) पर विधान मंडल द्वारा दिए गए अंतिम मत
(संकल्प अध्याय 23, 2020 के कानून)

सीनेटः	समर्थक 30	समर्थन नहीं करने वाले 10
एसेंबली:	समर्थक 60	समर्थन नहीं करने वाले 14

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

राज्य और संघीय संविधान में एकसमान सुरक्षा की आवश्यकता होती है। राज्य और संघीय संविधान सभी लोगों को समान संरक्षण प्रदान करते हैं, इसका सामान्य अर्थ यह है कि लोगों के साथ समान परिस्थितियों में कानून के अंतर्गत समान रूप से व्यवहार किया जाता है।

1996 में, California के मतदाताओं ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में, नस्ल, लिंग, रंग, जातीयता या राष्ट्रीय मूल पर विचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1996 में, California के मतदाताओं ने प्रस्ताव 209 पारित किया, राज्य संविधान में अनुच्छेद I की धारा 31 में एक नया अनुभाग जोड़ा गया। नये अनुभाग ने California में सार्वजनिक नियोजन, सार्वजनिक शिक्षा और सार्वजनिक अनुबन्धों में नस्ल, लिंग, रंग, जातीयता या राष्ट्रीय मूल पर विचार करने पर सामान्य रूप से प्रतिबंध लगा दिया था।

यहां प्रस्ताव 209 के कुछ अपवाद दिए गये हैं। राज्य और स्थानीय संस्थाएं सामान्य परिचालन के लिए आवश्यक होने पर लिंग पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, राज्य की जेलों में होने वाली विशिष्ट नियुक्तियों में राज्य, कर्मचारी के लिंग पर विचार कर सकते हैं जहां यह आवश्यक है कि कर्मचारी और बंदी समान लिंग के हों। इसके अलावा, राज्य और स्थानीय संस्थाएं, संघीय निधि प्राप्त करने के लिए आवश्यक होने पर निर्दिष्ट विशेषताओं पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, संघीय निधि वाली परिवहन परियोजनाओं के लिए, राज्य को विशेष समूहों जैसे महिला स्वामित्व वाले व्यवसाय और रंग के लोगो को, अनुबंधों का कितना अंश दिया जाएगा, के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता होती है।

प्रस्ताव 209 प्रभावित विशेष सार्वजनिक नीतियां और कार्यक्रम। प्रस्ताव 209 से पहले, राज्य और स्थानीय संस्थाओं की नीतियों और कार्यक्रमों का उद्देश्य उन लोगों के लिए अवसरों और प्रतिनिधित्व को बढ़ाना था, जो नस्ल, लिंग, रंग, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के कारण असमानताओं का सामना कर रहे थे। इस प्रकार के कार्यक्रमों को अक्सर "सकारात्मक कार्रवाई" कार्यक्रम कहा जाता है। उदाहरण के लिए, राज्य के कुछ सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में प्रवेश के निर्णय के दौरान जाति और नस्ल को कारक माना जाता था, और उन विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे। राज्य और स्थानीय संस्थाओं की रोजगार और भर्तियों की नीतियों का उद्देश्य रंग विशेष के लोगों और महिलाओं की नियुक्तियों को बढ़ाना था। राज्य ने महिलाओं के स्वामित्व और अल्पसंख्यक-स्वामित्व वाले व्यवसायों की सार्वजनिक अनुबंधों में भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यक्रम भी स्थापित किए थे।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण जारी है

राज्य के अनुबंधों को इस प्रकार के व्यवसायों को देने के लिए राज्य ने अंश भी निर्धारित किए थे। प्रस्ताव 209 के मतदाताओं से पारित होने के बाद, इन नीतियों और कार्यक्रमों को छोड़ दिया गया या संशोधित किया गया, बशर्ते वे एक अपवाद के योग्य नहीं थे।

संघीय कानून निर्दिष्ट विशेषताओं पर विचार करते हुए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों की सीमित अनुमति देते हैं। प्रस्ताव 209 से पहले भी, नस्ल, लिंग, रंग, जातीयता या राष्ट्रीय मूल पर विचार करने वाली राज्य और स्थानीय नीतियों और कार्यक्रमों को संघीय कानून का अनुपालन करना होता था। संघीय कानून समान सुरक्षा के अधिकार को स्थापित करते हैं और इसके कारण इन निमित्तों को सीमित करते हैं। उदाहरण के लिए, संघीय कानून के अंतर्गत, अपने परिसरों में अधिक विविधता लाने की कोशिश करने के लिए प्रवेश का निर्णय लेने के दौरान, विश्वविद्यालय इन विशेषताओं को कई कारकों में से एक के रूप में स्वीकार सकते हैं। संघीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, इन नीतियों और कार्यक्रमों को निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना होता है, जो इन विशेषताओं को स्वीकार करने को सीमित करते हैं। इन शर्तो का उद्देश्य समान सुरक्षा का उल्लंघन करने वाले पक्षपात को रोकना है। राज्य कानून में भी संघीय कानून के समान ही पक्षपात के विरुद्ध कई प्रावधान हैं।

प्रस्ताव 209 के बाद बनाई गई या संशोधित की गई नीतियां और कार्यक्रम। मतदाताओं द्वारा प्रस्ताव 209 पारित करने के बाद, California की कुछ सार्वजनिक संस्थाओं ने नीतियों और कार्यक्रमों को बनाया या संशोधित किया, उन विशेषताओं पर विचार करने के लिए जो प्रस्ताव 209 में प्रतिबंधित नहीं की गई थी। उदाहरण के लिए, राज्य के कई विश्वविद्यालयों ने, उन विद्यार्थियों को जो अपने परिवार में कॉलेज आने वाले सबसे पहले थे, तक पहुंचने के लिए और समर्थन देने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कई विश्वविद्यालयों ने प्रवेश के निर्णय के दौरान यह भी ध्यान दिया कि विद्यार्थियों ने हाई स्कूल कहां से किया है और वे कहां रहते हैं। विश्वविद्यालय इन नीतियों और कार्यक्रमों को, प्रस्ताव 209 का उल्लंघन ना करते हुए, विविधता को बढ़ाने के एक प्रयास के रूप में देखते हैं।

प्रस्ताव

सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक रोज़गार, और सार्वजनिक अनुबंधों में निर्धारित विशेषताओं पर विचार करने पर लगे प्रतिबंध को हटाना। यदि पारित हुआ तो इस उपाय से प्रस्ताव 209—California के संविधान के अनुच्छेद I का अनुभाग 31 निरस्त हो जाएगा। इससे सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक रोज़गार और सार्वजनिक अनुबंधों में नस्ल, लिंग, रंग, जातीयता या राष्ट्रीय मूल पर विचार करने पर लगे प्रतिबंध हट जाएंगे। इसके फलस्वरूप राज्य और स्थानीय संस्थाएं विस्तृत नीतियों और कार्यक्रमों को स्थापित कर सकेंगी जब तक कि वे संघीय और राज्य के समान सुरक्षा से संबंधित कानून के अनुरूप हों।

वित्तीय प्रभाव

सार्वजनिक संस्थाओं पर कोई प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव नहीं। इस उपाय से राज्य और स्थानीय संस्थाओं पर कोई प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि विधेयक के लिए वर्तमान नीतियों या कार्यक्रमों में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय कोई वित्तीय प्रभाव सार्वजनिक शिक्षा, सरकारी रोजगार और सरकारी अनुबंधों में नस्ल, लिंग, रंग, जातीयता या राष्ट्रीय मूल पर विचार करने वाली नीतियों या कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य और स्थानीय संस्थाओं द्वारा अपनाए गए भावी विकल्पों पर निर्भर करेंगे।

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संभावित वित्तीय प्रभाव काफी हद तक अनिश्चित हैं। राज्य और स्थानीय संस्थाएं नस्ल, लिंग, रंग, जातीयता या राष्ट्रीय मूल पर विचार करने वाली कितनी भी नीतियों या कार्यक्रमों के बारे में निर्णय ले सकेंगे। क्योंकि मतदाताओं द्वारा इस उपाय की स्वीकृति देने पर राज्य और स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाने वाले विकल्पों की जानकारी नहीं है इसलिए संभावित वित्तीय प्रभाव काफी हद तक अनिश्चित हैं।

प्रमुख रूप से इस उपाय का समर्थन या विरोध करने के लिए बनाई गई समितियों की सूची के लिए *http://cal-access.sos.ca.gov/campaign/measures/* पर जाएं।

समिति के शीर्षस्थ 10 योगदानकर्ताओं तक पहुंचने के लिए *http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html* पर जाएं।

यदि आप इस राज्य के उपाय के संपूर्ण टेक्स्ट की एक प्रतिलिपि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो कृपया राज्य सचिव को (888) 345-2692 पर कॉल करें या आप *vigfeedback@sos.ca.gov* पर ईमेल भेज सकते हैं और आपको एक प्रतिलिपि नि:शुल्क डाक द्वारा भेज दी जाएगी।